NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

ECONOMIC TIMES, Delhi, 7.7.2024
Page No. 3, Size:(4.22)cms X (22.24)cms.

Ministry Submits Report of Labour Law Violation at Amazon's Manesar Facility to NHRC

REUTERS

Our Bureau

New Delhi: The ministry of labour and employment Saturday said it has submitted Haryana government's detailed report on labour law violations at an Amazon warehouse in Manesar to the National Human Rights Commission (NHRC).

"The report mentioned violations of certain provisions of labour laws by Amazon and informed that the state government has initiated legal action as per provisions of the concerned labour laws," the ministry said in a statement.

In its submission to the central labour commissioner, Amazon India accepted that there was a clear violation of its workplace safety standards at its Manesar warehouse on May 16 and assured the government of a prompt action in this regard.

FOXCONN CASE

The labour ministry said it also forwarded to the NHRC a report from the labour department of Tamil Nadu, which probed allegations of discrimination against married women at Taiwanese electronics major Foxconn's Chennai factory, which manufactures iPhones.

The report cleared Foxconn, saying there was no evidence supporting claims of discrimination against married women in recruitment and employment processes at Foxconn's Chennai factory.

The NHRC had issued notices to the central labour ministry and the Tamil Nadu government, seeking a detailed report in the Foxconn case, taking suo motu cognizance of allegations of discrimination by the company.

MILLENNIUM POST, Delhi, 7.7.2024
Page No. 5, Size:(9.59)cms X (7.96)cms.

NHRC ISSUES NOTICES TO STATES, UTS ON WOMEN FORCED INTO SEX TRADE

NEW DELHI: The NHRC has issued notices to the chief secretaries and the police chief of all the states and union territories over reports that women are allegedly being forced into sex trade by anti-social elements on the pretext of providing them with lucrative job opportunities. In a statement on Friday, the National Human Rights Commission observed the content of a news report quoting statements by women arrested during a raid, if true, raises a serious concern relating to the life, liberty, equality and dignity of women, irrespective of caste, religion and geographical boundaries.

VEER ARJUN, Delhi, 7.7.2024
Page No. 8, Size:(12.54)cms X (7.70)cms.

देह व्यापार मामले में एनएचआरसी ने राज्यों को भेजा नोटिस

विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नौकरी दिलाने के बहाने महिलाओं को असामाजिक तत्वों द्वारा कथित तौर पर देह-व्यापार में धकेले जाने के संबंध में मीडिया में आई खबरों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि एक छापेमारी के दौरान गिरफ्तार की गईं महिलाओं के बयानों को उद्धृत करने वाली खबर यदि सही है तो यह महिलाओं के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के लिए गंभीर चिंता पैदा करती है।आयोग ने कहा, समाचार पत्रों में एक जुलाई को प्रकाशित खबर में संकेत दिया गया कि झारखंड के रांची में एक होटल में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार की गईं अधिकांश महिलाएं मजबूरी के कारण देह व्यापार में शामिल हुई थीं। उनमें से कई महिलाओं को उनके रिश्तेदारों ने ही इस दलदल में धकेला था और कुछ को अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूरन देह व्यापार में शामिल होना पड़ा। असामाजिक तत्वों के चंगुल में फंसने के बाद वे इससे बाहर नही निकल सकी। आयोग के बयान में कहा गया है कि खबरों से पता चलता है कि पीड़ित महिलाएं अलग-अलग स्थानों की रहने वाली हैं और उन्हें नौकरी दिलाने के बहाने देह-व्यापार में धकेला गया। महिलाओं को इस दलदल में धकेलने वाले लोग कथित तौर पर दूरस्थ स्थानों से यह कृत्य कर रहे है। इससे, इस आपराधिक गिरोह का देशभर में नेटवर्क फैले होने का संकेत मिलता है, इसलिए इस तरह के आपराधिक तत्वों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्वाई करने की आवश्यकता है। मीडिया में आई खबर का स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर महिलाओं को देह व्यापार में धकेलने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए उठाए गए और प्रस्तावित कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण के लिए देश में कई कानून और योजनाएं होने के बावजूद असामाजिक और आपराधिक तत्व समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाते है।आयोग ने शुक्रवार को जारी किए गए एक अन्य बयान में कहा कि उसने मीडिया में आई उन खबरों का स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित एक आश्रम में 30 बच्चे कथित तौर पर बीमार पड़ गए और उनमें से पांच की मौत हो गई। बयान के अनुसार, इन बच्चों की उम्र 5 से 15 साल के बीच है। बताया जा रहा है कि रक्त संक्रमण और भोजन की विषाक्तता के कारण ये बच्चे बीमार हुए। आश्रम में रहने वाले ज्यादातर बच्चे अनाथ है।आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नोटिस में कहा गया है इलाज के लिए अस्पताल में कथित तौर पर भर्ती बच्चों की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी भी रिपोर्ट में शामिल रहनी चाहिए।

DAINIK JAGRAN, Delhi, 7.7.2024
Page No. 10, Size:(5.81)cms X (8.77)cms.

महिलाओं को देह व्यापार में धकेले जाने पर राज्यों को एनएचआरसी का नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने महिलाओं को देह व्यापार में धकेले जाने पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि महिलाओं को आकर्षक नौकरी के अवसर देने के बहाने असामाजिक तत्वों द्वारा कथित तौर पर देह व्यापार को मजबूर किया जा रहा है।

एनएचआरसी शुक्रवार को बयान में कहा कि इस तरह की रिपोर्ट सत्य है, तो यह महिलाओं के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित गंभीर चिंता की बात है। एनएचआरसी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर महिलाओं को देह व्यापार में धकेलने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए उठाए गए और प्रस्तावित कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए देश में कई कानूनों के बावजूद, असामाजिक व आपराधिक तत्व समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं को निशाना बनाने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल, एक जुलाई को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड के रांची में एक होटल में छापेमारी के दौरान कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। इन महिलाओं का कहना है कि वे मजबूरी के कारण देह व्यापार में शामिल हो गईं। इनमें से कई महिलाओं को उनके रिश्तेदारों ने इस जाल में धकेल दिया। कुछ को अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस घिनौने धंधे में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बार चंगुल में फंसने के बाद वे बाहर नहीं आ सकीं। पीड़ित महिलाएं अलग-अलग जगहों की निवासी हैं, जिन्हें नौकरी के नाम पर फंसाया गया है। एनएचआरसी ने एक अन्य बयान में कहा कि उसने मीडिया में आई उन खबरों का संज्ञान लिया है, जिनमें कहा गया है कि इंदौर में एक आश्रम में 30 बच्चे कथित रूप से बीमार पड़ गए और पांच की मौत हो गई। हालांकि इन बच्चों की मौत का कारण रक्त संक्रमण और खाद्य विषाक्तता माना जाता है।

JANSATTA, Delhi, 7.7.2024
Page No. 2, Size:(2.67)cms X (10.76)cms.

एनएचआरसी ने भीख मांगने वालों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की सिफारिश की

नई दिल्ली, 6 जुलाई (भाषा)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को एक परामर्श जारी कर भीख मांगने वाले व्यक्तियों का संरक्षण करने और उनका पुनर्वास कराने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने और राष्ट्रव्यापी ह्यडाटाबेसह्न तैयार करने समेत कई सिफारिशें की हैं।

आयोग ने एक बयान में कहा कि यह परामर्श केंद्र और राज्य सरकारों को भीख मांगने वाले लोगों के जीवन में सुधार करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक पहलों और कल्याणकारी कार्यक्रमों को शुरू करने के बावजूद देशभर में लोगों का भीख मांगना जारी है। बयान में कहा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भीख मांगने वाले और खानाबदोश लोगों की संख्या 4,13,000 (4.13 लाख) से अधिक थी।

एनएचआरसी ने अधिकारियों से भीख मांगने वाले व्यक्तियों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की सिफारिश की है। एनएचआरसी ने कहा कि भीख मांगने वालों को लक्षित वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार के अवसरों मुहैया कराया जाए।

जनसत्ता Sun htt

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 7.7.2024
Page No. 3, Size:(18.97)cms X (10.07)cms.

एनएचआरसी ने भिक्षावृत्ति से निपटने को जारी की गाइडलाइन

आयोग ने कहा ▸ यह न सिर्फ सामाजिक-आर्थिक समस्या बल्कि समाज की बड़ी विफलता भी, लोगों का जीवन स्तर सुधारें केंद्र व राज्य सरकारें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश में भिक्षावृत्ति की स्थिति पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने न सिर्फ गंभीर चिंता जताई है, बल्कि आयोग ने इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए जरूरी कदमों की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों से जल्द से जल्द इस पर अमल करने और अगले दो माह में इसे लेकर अमल रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है।

आयोग ने भिक्षावृत्ति को लेकर यह चिंता तब जताई है, जब देश में भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की संख्या बढ़ रही है। 2011 की जनगणना में जहां देश में करीब चार लाख लोग भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए थे, वहीं मौजूदा समय में इनकी संख्या बढ़कर करीब सात लाख पहुंचने का अनुमान है। देश में भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की संख्या बढ़ने का यह अनुमान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से शहरों को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने को लेकर शुरू किए गए अभियान के दौरान लगा है। जिसमें शहरों में इसे शुरू करने से पहले उनका सर्वे कराया गया था। हालांकि यह योजना मौजूदा समय में करीब 30 शहरों में चलाई जा रही है, जिन्हें 2026 तक भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, लेकिन इसे लेकर राज्यों का जो रवैया है, उनमें इन लक्ष्य को हासिल कर पाना एक बड़ी चुनौती है।

महिलाओं को देह व्यापार में धकेले जाने पर राज्यों को नोटिस जारी

- मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग ने उठाया कदम
- समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र: एनएचआरसी ने महिलाओं को देह व्यापार में धकेले जाने पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए हैं जिनमें कहा गया है कि महिलाओं को आकर्षक नौकरी के अवसर देने के बहाने असामाजिक तत्वों द्वारा कथित तौर पर देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा है।

एनएचआरसी शुक्रवार को बयान में कहा कि इस तरह की रिपोर्ट सत्य है, तो यह महिलाओं के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित गंभीर चिंता की बात है। एनएचआरसी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर महिलाओं को देह व्यापार में धकेलने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए उठाए गए और प्रस्तावित कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए देश में कई कानूनों के बावजूद, असामाजिक और आपराधिक तत्व समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाने में कामयाब हो जाते हैं।

दरअसल एक जुलाई को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के रांची में एक होटल में छापेमारी के दौरान कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। इन महिलाओं का कहना है कि वे मजबूरी के कारण देह व्यापार में शामिल हो गईं। इनमें से कई महिलाओं को उनके रिश्तेदारों ने इस जाल में धकेल दिया। कुछ को अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस घिनौने धंधे में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बार चंगुल में फंसने के बाद वे बाहर नहीं आ सकीं। पीड़ित महिलाएं अलग-अलग जगहों की निवासी हैं, जिन्हें नौकरी के नाम पर फंसाया गया है। इससे देशभर में फैले अपराध सिंडिकेट का पता चलता है। ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ पूरे देश में कार्रवाई की आवश्यकता है।

एनएचआरसी ने एक अन्य बयान में कहा कि उसने मीडिया में आई उन खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है जिनमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक आश्रम में 30 बच्चे कथित रूप से बीमार पड़ गए और पांच की मौत हो गई। हालांकि इन बच्चों की मौत का कारण रक्त संक्रमण और खाद्य विषाक्तता माना जाता है। इन बच्चों की उम्र पांच से 15 साल के बीच है। आश्रम में रहने वाले ज्यादातर बच्चे अनाथ हैं। एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें अस्पताल में भर्ती बच्चों की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी होनी चाहिए।

इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के महासचिव भरत लाल ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए तेजी से काम करने की सलाह दी है। आयोग ने इसे लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें लगे लोगों का पहले सर्वे कराने का कहा है। इसके बाद उनके रहने व स्वास्थ्य के साथ बच्चों की पढ़ाई के अलावा उनके जीवकोपार्जन के लिए जरूरी उपाय करने को कहा है। आयोग ने केंद्र व राज्य सरकारों से इस पर तुरंत अमल करने के साथ ही दो महीने के भीतर इसके अमल की रिपोर्ट भी देने कहा है।

सभी को दिया जाए राशन कार्ड

आयोग ने गाइडलाइन में भिक्षावृत्ति में लगे सभी लोगों का पहचान पत्र, आधार कार्ड के साथ उनका राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जन-धन कार्ड जैसी सभी लाभकारी योजनाओं से जोड़ने की बात कही है। साथ ही इनके लिए बनाए गए शेल्टर होम में उनकी नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच की जाए। गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को तुरंत उपचार दिया जाए। इनके लिए पौष्टिक भोजन व कपड़े की व्यवस्था की जाए। स्किल की शिक्षा भी दी जाए, ताकि वे भिक्षावृत्ति छोड़कर दूसरा काम कर सकें। उन्हें आवास योजना का भी हिस्सी बनाएं, ताकि उनका निश्चित ठिकाना हो सके।

चार लाख से अधिक भिखारी

भारत में 4,13,670 चार लाख से अधिक भिखारी हैं। इनमें 2,21,673 पुरुष व 1,91,997 महिलाएं हैं। सबसे अधिक 81,244 भिखारी बंगाल में हैं। उप्र में 65,835, आंध्र प्रदेश में 30,218, बिहार में 29,723, मप्र में 28,695, राजस्थान में 25,853,दिल्ली में 2,187 व चंडीगढ़ में 121 भिखारी हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार,लक्षद्वीप में केवल दो भिखारी हैं, जबकि दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्रमश: 19, 22 और 56 भिखारी हैं।

DAINIK JAGRAN, Delhi, 7.7.2024
Page No. 10, Size:(13.93)cms X (10.07)cms.

'भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का जीवन स्तर सुधारने को करें काम'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश में भिक्षावृत्ति की स्थिति पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने न सिर्फ गंभीर चिंता जताई है, बल्कि आयोग ने इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए जरूरी कदमों की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों से जल्द से जल्द इस पर अमल करने और अगले दो माह में इसे लेकर अमल रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है।

आयोग ने भिक्षावृत्ति को लेकर यह चिंता तब जताई है, जब देश में भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की संख्या बढ़ रही है। 2011 की जनगणना में जहां देश में करीब चार लाख लोग भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए थे, वहीं मौजूदा समय में इनकी संख्या बढ़कर करीब सात लाख पहुंचने का अनुमान है। देश में भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की संख्या बढ़ने का यह अनुमान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से शहरों को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने को लेकर शुरू किए गए अभियान के दौरान लगा है। जिसमें शहरों में इसे शुरू करने से पहले उनका सर्वे कराया गया था। हालांकि यह योजना मौजूदा समय में करीब 30 शहरों में चलाई जा रही है, जिन्हें 2026 तक भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, लेकिन इसे लेकर राज्यों का जो रवैया है, उनमें इन लक्ष्य को हासिल कर पाना एक बड़ी चुनौती है।

एनएचआरसी के महासचिव भरत लाल ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ राज्यों को लिखे पत्र में भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए काम करने की सलाह दी है। एक गाइडलाइन जारी हुई है, इसमें लगे लोगों का पहले सर्वे कराने का कहा है। उनके रहने व स्वास्थ्य के साथ बच्चों की पढ़ाई के अलावा उनके जीवकोपार्जन के लिए जरूरी उपाय करने को कहा है। आयोग ने केंद्र व राज्य सरकारों से इस पर दो महीने के भीतर इसके अमल की रिपोर्ट भी देने कहा है।

- आयोग ने कहा, भिक्षावृत्ति न सिर्फ एक सामाजिक-आर्थिक समस्या बल्कि समाज की विफलता भी
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी की गाइडलाइन, इसमें सुझाए गए हैं उपाय

भारत में चार लाख से अधिक भिखारी

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में चार लाख से अधिक भिखारी हैं। यहां 2,21,673 पुरुषों और 1,91,997 महिलाओं सहित 4,13,670 भिखारी रहते हैं। इनमें से सबसे अधिक 81,244 भिखारी बंगाल में हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 65,835 भिखारी, आंध्र में 30,218, बिहार में 29,723, मध्य प्रदेश में 28,695, राजस्थान में 25,853 भिखारी हैं। दिल्ली में 2,187 व चंडीगढ़ में 121 व लक्षद्वीप में केवल दो भिखारी हैं। दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार में क्रमश: 19, 22 और 56 भिखारी हैं।

Ashram deaths: NHRC notice to CS

https://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/nhrc-notice-issued-for-deaths-at-indore-ashram/articleshow/111525482.cms

Indore: National Human Rights Commission (NHRC) on Friday took cognizance of deaths of children at a local ashram and issued notice to Madhya Pradesh chief secretary seeking a detailed report within one week.

As many as six children had died and around 60 were admitted to the hospital after spread of cholera at Shri Yugpurush Dham Boudhik Vikas Kendra from June 29 to July 2. The ashram is also accused of hiding a death and allowing disposal of the body without an autopsy.

The NHRC observed that being custodian of the children, it becomes the duty of the ashram management and the supervising government officers to provide them with a safe environment including hygienic food and proper medical care.

The commission asked the chief secretary to give a detailed report that includes the present health status of the children and treatment records of those who died. NHRC also sought to know the steps taken to improve the overall condition of the ashram so that such incidents do not recur. The NHRC sought specific details about an SDM, who was suspended on the allegations of behaving in an insensitive manner while inquiring into the matter at the shelter home.

The commission has also asked its special rapporteur, Shri Umesh Kumar Sharma, to visit the ashram to conduct a spot inquiry and submit a report at the earliest.

In Indore, district collector Asheesh Singh told reporters that the ashram had failed to inform authorities about the spread of infection among the children. “If the information would have been passed on, we could have saved some of those who died,” he said.

On basis of an interim report submitted by a local probe committee, the collector had sent a notice to the ashram management asking them why a criminal case should not be registered against them for concealing information about the death and other irregularities.

The ashram is expected to tender a reply by Sunday.

The ashram has a total of 204 inmates, including orphans and those suffering from mental ailments. The first death was recorded at the ashram on June 29. Four children died inside the ashram between July 1 and July 2 after suffering from vomiting and diarrhoea, while another passed away on June 30 allegedly due to seizures. TNN

We also published the following articles recently

Indore ashram gets notice over kids' deathLearn about the recent incident at Shri Yugpurush Dham ashram in Indore where six children tragically passed away. The administration has issued a showcause notice to the ashram, awaiting a response within three days.111499760

Indore child deaths: No FIR, ashram gets showcause noticeLearn about the ongoing investigation into child deaths at Shri Yugpurush Dham ashram in Indore. The management is facing scrutiny for not disclosing the deaths promptly. Stay updated on the latest developments as authorities await a response from the ashram.111503183

Five kids die of mystery illness at Indore ashram, 38 in hospitalTragedy strikes as five children at an ashram in Indore succumb to a mysterious illness, while 30 others are hospitalized. Authorities suspect food poisoning. The incident has sparked an investigation and raised alarm in Madhya Pradesh.111446189

'Boarding, healthcare, compulsory education': Human rights body issues advisory for protection of beggars

https://www.livemint.com/news/india/boarding-healthcare-compulsory-education-human-rights-body-issues-advisory-for-protection-of-beggars-11720194377708.html

The National Human Rights Commission issued an advisory on Friday for the protection and rehabilitation of beggars.

The National Human Rights Commission issued an advisory on Friday for the protection and rehabilitation of beggars. The move is intended to address the "root causes of begging" and provide such individuals with support and rehabilitation. States and Union Territories have been asked to implement the recommendations issued in the advisory and send an Action Taken Report within two months.

"Persons engaged in beggary face a number of challenges that impact their life and dignity. Beggary is not only a socio-economic problem but also reflects the failure of the society, where people are forced to beg to eke out their livelihood," the document said.

The document called for the formation of a national database of people engaged in seeking alms before registering them in shelter homes and issuing identity cards. It also sought to ensure adequate care and compulsory education for young children, and vocational training for beggars.

The NHRC has also called for the establishment of an anti-begging framework and called for the states and UTs to work towards decriminalizing begging.

Here are the highlights:

Develop a standardized survey format to create a national database of individuals engaged in begging. Collect and update detailed information regularly on an online portal accessible to stakeholders such as authorities, nodal agencies, and shelter homes. Include various parameters in the database, such as gender, age, family status, health issues, place of origin, and previous economic activities

Register individuals in shelter homes and issue identity cards. Ensure shelter homes provide essential services, including healthcare, registration assistance, and financial services. Organize camps to disseminate information on government welfare schemes and employment opportunities.

Provide proper boarding, lodging, and healthcare services in shelter homes. Ensure access to mental health counseling, de-addiction, and rehabilitation services. Link residents with government medical assistance and insurance schemes

Ensure free and compulsory education for children aged 6-14 years involved in begging. Provide early childhood care and education for children up to 6 years old whose parents are involved in begging.

Establish an anti-begging framework and work towards decriminalizing begging. Undertake anti-poverty and poverty alleviation measures, and enact laws to curb forced begging and human trafficking

Collaborate with NGOs, civil society organizations, and the private sector for skill development and vocational training. Encourage the formation of Self-Help Groups (SHGs) and provide financial assistance through bank loans and government schemes

Develop information, education, and communication materials to raise awareness. Provide follow-up and aftercare services to monitor progress and prevent relapse into begging. Reach out to the public to create awareness and seek cooperation in implementing protection mechanisms.

Buxar रील्स बना रहे चार बाइक सवारों ने बालक को रौंदा

https://samacharnama.com/city/buxar/four-bikers-making-buxar-reels-run-over-boy/cid14869951.htm

बिहार न्यूज़ डेस्क थाली थाना क्षेत्र के दनियार गांव में की सुबह सड़क पर चार अलग-अलग बाइक पर सवार युवकों ने वीडियो बनाने के क्रम में एक बालक की जान ले ली. इस दौरान तीन बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जबकि एक अन्य बाइक को लेकर सभी युवक भागने में कामयाब हो गए. मृत बालक की पहचान दनियार गांव के चंदन मांझी के सात वर्षीय पुत्र कार्तिक कुमार के रूप में की गई है. घटना के विरोध में परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और प्रशासन से मुआवजे की मांग की.

बताया जाता है कि चार अलग-अलग बाइक पर सवार युवक सड़क पर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे. इसी दौरान सड़क किनारे खड़े बालक को रौंद दिया. जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. इस दौरान तीन बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. उन तीनों बाइकों को सड़क पर छोड़ कर एक अन्य बाइक लेकर युवक भाग निकले. घटना के बाद ग्रामीणों व परिजनों की भीड़ वहां पर जुट गई. इसकी सूचना मिलते ही थाली थाना के थानाध्यक्ष विकास चंद्र यादव, एसआई ललन कुमार पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए और शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया. लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया. लगभग दो घंटे तक सड़क जाम रहा. इस बीच बीडीओ नीरज कुमार राय वहां पहुंचे और सरकारी मुआवजे दिलवाने तथा परिवारिक लाभ के तहत बीस हजार रुपए देने की बात कही.

सुनीता का किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को किडनी कांड की पीड़िता सुनीता का किडनी ट्रासप्लांट कराने का निर्देश दिया है. जारी निर्देश में आयोग ने सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता की किडनी के शीघ्र प्रत्यारोपण और उपचार के लिए पर्याप्त कदम उठाने कारे कहा है. करीब दो साल पहले गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान दोनों किडनी निकाल लिए जाने के बाद से पीड़िता सुनीता डायलसिस के सहारे जी रही है. मामले में अधिवक्ता एसके झा ने आयोग में याचिका दायर की थी.

उप मुख्यमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी में केस दर्ज

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ एक्स पर एक युवक के द्वारा अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करने को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक कुमार ने साइबर थाना में केस दर्ज कराया है. भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि एक्स पर को एक पोस्ट प्रियांशु कुशवाहा के अकाउंट से किया गया है. इसमें उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से टिप्पणी की गई है.

Foxconn hiring: NHRC sends notice to Centre, Tamil Nadu govt over 'bias' against married women at iPhone maker's plant

https://www.msn.com/en-in/news/India/foxconn-hiring-nhrc-sends-notice-to-centre-tamil-nadu-govt-over-bias-against-married-women-at-iphone-maker-s-plant/ar-BB1pdqGq?apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1&batchservertelemetry=1&noservertelemetry=1

The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday issued notices to the Union Labour Ministry and the Tamil Nadu government over reports of gender discrimination in jobs by Foxconn, a major manufacturer of Apple devices, at its iPhone assembly plant in Tamil Nadu's Sriperumbudur

The human rights watchdog issued the notices after taking suo motu cognisance of media reports that Foxconn "has systematically excluded married women from jobs at its iPhone assembly plant in Sriperumbudur, Tamil Nadu".

A former human resource executive at Foxconn had alleged that "verbal directions" were given to the recruitment agencies in this regard.

Citing reports, the NHRC said the company "does not hire married women because of cultural issues and societal pressure".

According to a report by news agency PTI citing sources, Foxconn had informed the government that 25 per cent of its new hires are married women and its safety protocol, which requires all employees to avoid wearing metal irrespective of gender or religion, is not discriminatory.

The content of the media reports, if true, raises a serious issue of discrimination against married women causing the violation of the right to equality and equal opportunity, said the NHRC in its statement.

Seeking a detailed report within one week, the Commission has issued notices to the secretary, Union ministry of labour and employment, and the chief Secretary, government of Tamil Nadu.

As per media reports carried on June 26, a number of job seekers in the company were spoken to during the period January 2023 to May 2024 and the candidate information pamphlet of the company was examined, it said.

“It was revealed that only unmarried women were eligible for assembly job while there was no mention in this regard in the advertisements made by the company. A WhatsApp chat between a married candidate and the hiring agency of the company was also quoted in the news report stating that when the candidate asked about the salary and childcare facility offered by the company, the response was 'married not allowed'. The company, reportedly, refuted the allegations of discrimination in employment based on marital status, gender, religion or any other form,” the statement said.

The NHRC also noted that gender equality is not only required in the Indian Constitution, but the international treaties and covenants, viz., International Covenant Civil and Political Rights, and the International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights also provide non-discrimination on the ground of gender in any form of employment.

India News | National Policy for Protection, Rehabilitation and Centralised Database: NHRC Advisory on Begging

https://www.latestly.com/agency-news/india-news-national-policy-for-protection-rehabilitation-and-centralised-database-nhrc-advisory-on-begging-6089835.html

Get latest articles and stories on India at LatestLY. Building a nationwide database and drafting a national policy for protection and rehabilitation of individuals engaged in begging are among the recommendations of an NHRC advisory issued on Friday.

New Delhi, Jul 5 (PTI) Building a nationwide database and drafting a national policy for protection and rehabilitation of individuals engaged in begging are among the recommendations of an NHRC advisory issued on Friday.The advisory was issued to the Centre and state governments to develop strategies aimed at eliminating the need for begging and enhancing the quality of life for those involved in it, the National Human Rights Commission (NHRC) said in a statement

It noted that despite a number of initiatives and welfare programmes implemented by the central and state governments, begging persisted across the country.

According to the 2011 census, there were more than 4,13,000 (4.13 lakh) beggars and vagrants in India, it said.

In its recommendations, the NHRC asked the authorities to draft a national policy for the protection and rehabilitation of individuals involved in begging to prepare and implement welfare schemes for them with targeted financial assistance, vocational training, poverty alleviation and employment opportunities and continuous monitoring and supervision by executive actions for implementation of those frameworks.It also recommended undertaking sociological and economic impact assessment to legislate an anti-human trafficking law to curb any racket of forced begging. "This law should identify beggary as one of the root causes of human trafficking and insert penal offences against the perpetrators."A standardised survey format is to be developed by the Union Ministry of Social Justice & Empowerment for collecting detailed information with the help of municipal corporations or government agencies to build a national database of individuals engaged in begging with their physical, mental and social status, which should be updated regularly on an online portal accessible to all stakeholders, the statement said.The rights panel also asked to ensure that, upon completion of the identification process, individuals engaged in begging were brought to shelter homes (as mentioned under the Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise or SMILE scheme) located within cities or districts, and registered as residents and issued identity cards by the relevant authorities.Particular emphasis should be placed on catering to the needs of children, women, the elderly, persons with disabilities and those addicted to substance abuse involved in begging, according to the existing provisions of the law applicable to these specific groups, it said in its recommendations.Other recommendations include registering and enrolling all children between the ages of six and 14 and involved in begging in schools under the Right to Education Act and providing skill development and vocational training to shelter home residents in

collaboration with government-recognised vocational centres to enable them to live a life of dignity.It also recommended that NGOs or civil society groups may assist the shelter home residents in forming self-help groups and in accessing loans for self-employment.The state governments have been asked to start campaigns to ensure the eradication of organised or forced begging in all forms. To achieve this goal, anti-begging cells may be initiated by involving various stakeholders, including NGOs or CSOs and human rights defenders, it said.

Madhubani सुपौल गांवों में फैला पानी, फसल तबाह

https://samacharnama.com/city/madhubani/water-spread-in-madhubani-supaul-villages-crops-destroyed/cid14869018.htm

बिहार न्यूज़ डेस्क कोसी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से तटबंध के भीतर के गांवों में पानी फैल गया है. इससे वहां बसे लोगों की नींद उड़ गई है. वहीं दो सौ एकड़ से अधिक जमीन में लगी मूंग और पाट के खेतों में बाढ़ का पानी फैल गया है.

कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से मौजहा पंचायत के वार्ड-12 में सुकमारपुर और बेगमगंज गांव जाने वाली मुख्य सड़क 40 फीट कटकर नदी में विलीन हो गई है. इस कारण सुकमारपुर, बेगमगंज और सुकमारपुर घाट जाने वाले लोगों का सड़क संपर्क भंग हो गया है. लोग जान हथेली पर रखकर आवागमन कर रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि पानी की तेज धारा में वार्ड-12 की मुख्य सड़क कटकर नदी में विलीन हो गई. सड़क ध्वस्त होने से मौजहा पंचायत के सिसवा, पंचगछिया, सुकमारपुर, बगहा, बुढ़ियाडीह और दुबियाही पंचायत के बेला, दीघिया, बेलागोठ बेगमगंज सहित अन्य गांवों का संपर्क भंग हो गया है.

मौजहा पंचायत के वार्ड 8 में कोसी नदी पुल के समीप साल में लगभग दो सौ परिवार के घर काटकर नदी में विलीन हो गए थे. इसके बाद लोग जहां-तहां शरण लेकर रहे. बाढ़ अवधि खत्म होने के बाद कुछ लोग उसी जगह पर घर बना कर रहने लगे, लेकिन कोसी नदी में जलस्तर बढने के बाद घर में पानी फैल गया.

सुनीता का किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को किडनी कांड की पीड़िता सुनीता का किडनी ट्रासप्लांट कराने का निर्देश दिया है. जारी निर्देश में आयोग ने सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता की किडनी के शीघ्र प्रत्यारोपण और उपचार के लिए पर्याप्त कदम उठाने कारे कहा है.

डुमरी दक्षिणी पंचायत के दियारा क्षेत्र में सुबह पुरुष की अधजली लाश मिली है. सूचना पर पहुंची मोहनपुर थाने की पुलिस ने शव को पारेस्टमार्टम के लिए भेजा. ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि दूसरी जगह पर हत्या कर पहचान मिटाने के लिए शव आधा जलाकर यहां फेंक दिया गया है.

NHRC issues comprehensive advisory to safeguard and rehabilitate beggars

https://www.news9live.com/india/nhrc-issues-comprehensive-advisory-to-safeguard-and-rehabilitate-beggars-2606120

The National Human Rights Commission (NHRC) of India on Friday issued an advisory focusing on the protection and rehabilitation of individuals involved in begging. The advisory includes significant recommendations aimed at addressing the socio-economic difficulties experienced by underprivileged children, women and differently-abled individuals.

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) of India on Friday issued an advisory focusing on the protection and rehabilitation of individuals involved in begging. The advisory includes significant recommendations aimed at addressing the socio-economic difficulties experienced by underprivileged children, women and differently-abled individuals.NHRC advisory on begging | Key highlightsSurvey and Data Collection:– Establish a standardised survey format to create a national database of people engaged in begging.– Regularly update comprehensive information on an online portal accessible to authorities, nodal agencies and shelter homes, covering parameters such as gender, age, family status, health conditions, place of origin and previous economic activities.

Rehabilitation Measures:– Enroll people in shelter homes and issue identity cards for identification purposes.– Ensure that shelter homes provide essential services like healthcare, registration help and financial support.– Conduct awareness camps to inform people about government welfare programs and job opportunities.Healthcare:– Provide adequate boarding, lodging and healthcare services within shelter homes.– Facilitate access to mental health counseling, addiction treatment and rehabilitation services.– Assist residents in accessing government medical aid and insurance schemes.Education:– Guarantee free and compulsory education for children aged 6-14 years involved in begging.– Offer early childhood care and education for children under 6 years old whose parents engage in begging.

Legal and Policy Framework:– Establish a comprehensive anti-begging framework aimed at decriminalising begging.– Implement anti-poverty measures and enact legislation to combat forced begging and human trafficking.Collaboration with NGOs and Other Organisations:– Foster partnerships with NGOs, civil society groups and the private sector to promote skill development and vocational training.– Support the formation of Self-Help Groups (SHGs) and facilitate access to financial assistance through bank loans and government schemes.Awareness and Sensitisation:– Develop educational materials to raise awareness and provide ongoing support and follow-up services to prevent relapse into begging.– Engage the public to increase awareness and encourage cooperation in implementing protective measures.

MSN, Online, 6.7.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC issues notice to Centre, Tamil Nadu government over “serious issue of discrimination” at Foxconn’s iPhone factory

https://www.msn.com/en-in/news/india/nhrc-issues-notice-to-centre-tamil-nadu-government-over-serious-issue-of-discrimination-at-foxconn-s-iphone-factory/ar-BB1pdmOF?ocid=BingNewsVerp

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the central government and Tamil Nadu state authorities following reports of discriminatory hiring practices at Foxconn's biggest Apple iPhone manufacturing plant in the country near Chennai. The commission's action comes in response to a Reuters investigation that uncovered systematic exclusion of married women from assembly line jobs at the facility

"NHRC observes that the matter, if true, raises a serious issue of discrimination against married women causing the violation of the right to equality and equal opportunity," the commission stated as quoted by PTI. The NHRC has requested a detailed report within a week from both the labour ministry secretary and the Tamil Nadu chief secretary.

"Risk factors increase when you hire married women," says former Foxconn HR exec

The Reuters conducted an investigation at Tamil Nadu’s Sriperumbudur between January 2023 and May 2024, which revealed that Foxconn, a major supplier for Apple, had been rejecting married women applicants for iPhone assembly jobs. Dozens of job seekers, advertisements, and WhatsApp discussions, showed that Foxconn's third-party recruiters explicitly stated that only unmarried women were eligible for assembly jobs.

Hiring agents and HR sources cited family responsibilities, pregnancy risks, and higher absenteeism as reasons for not hiring married women. S. Paul, a former human resources executive at Foxconn India, told Reuters: "Risk factors increase when you hire married women." He explained that the company's view was that there were "many issues post-marriage," including that women "have babies after marriage."

Apple claims to have worked with Foxconn to address the lapses in hiring practices

In response to the allegations, Apple acknowledged lapses in hiring practices in 2022 and claimed to have worked with Foxconn to address the issues. Meanwhile, Foxconn has "vigorously refuted" the allegations of employment discrimination based on marital status or gender.

While Indian law doesn't specifically bar companies from discriminating in hiring based on marital status in the private sector, legal experts suggest such practices

could be challenged. Several women's groups have called for investigations into the matter.

The human rights commission emphasised that gender equality is not only required by the Indian constitution but also by international treaties and covenants. It has directed state authorities to ensure all companies follow labour law norms and regulations.

NHRC Issues Notices Over Forced Sex Trade Allegations, Child Health Crisis in Indore Ashram

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3007385-nhrc-issues-notices-over-forced-sex-trade-allegations-child-health-crisis-in-indore-ashram

The NHRC issued notices to state officials over reports of women being forced into sex trade on the pretext of job offers, raising concerns about women's safety. Additionally, a separate report revealed that children at an Indore ashram fell ill and died, prompting another notice for immediate action and improvement of conditions.

In a stern step, the NHRC has issued notices to chief secretaries and police chiefs of all states and union territories concerning reports of women being coerced into sex trade under the guise of lucrative job opportunities

The NHRC, on Friday, noted that content cited from a news report where women were arrested during a raid suggests a dire situation for women's rights and safety. The report, dated July 1, revealed that arrested women in a Ranchi hotel raid were driven to sex trade out of dire necessity, often coerced by relatives or entrapped to meet family needs.

The crime syndicate's extensive network, spanning the country, calls for a nationwide crackdown, the NHRC emphasized. Meanwhile, in another pressing issue, the NHRC responded to media reports of child illnesses and deaths at an Indore ashram, seeking an urgent response and improvement measures.

NHRC Issues Notices to States, UTs on Women Coerced into Sex Trade

https://www.oneindia.com/india/nhrc-issues-notices-over-women-forced-into-sex-trade-011-3871627.html

The National Human Rights Commission (NHRC) has raised alarms over reports of women being coerced into sex trade under the guise of job offers. The NHRC has issued notices to the chief secretaries and police chiefs across all states and union territories, seeking detailed reports on measures taken to combat this issue.

Alarming Reports of Forced Sex Trade

A news report from July 1 highlighted that many women arrested during a raid at a hotel in Ranchi, Jharkhand, were forced into sex work out of desperation. The NHRC noted that these women were often pushed into this situation by relatives or due to family needs, making it difficult for them to escape the control of criminal elements.

The NHRC's statement emphasised that the women involved came from various regions and were lured with false job promises. Their handlers operated from distant locations, indicating a widespread crime network. This necessitates a nationwide crackdown on such criminal activities, according to the commission.NHRC's Suo Motu CognisanceTaking suo motu cognisance of the media report, the NHRC issued notices to the chief secretaries and director generals of police in all states and union territories. The commission demanded a comprehensive report on actions taken and planned to address the issue of women being forced into sex trade by anti-social elements.

Despite existing laws and schemes aimed at protecting women, the NHRC observed that criminal elements continue to exploit vulnerable sections of society. This highlights a significant gap in the implementation and enforcement of protective measures for women's safety and welfare.

In another concerning development, the NHRC took suo motu cognisance of reports that 30 children fell ill and five died at an ashram shelter home in Indore, Madhya Pradesh. The affected children, aged between 5-15 years, are suspected to have suffered from blood infection and food poisoning.Most children residing in these ashrams are orphans. The NHRC has issued a notice to the Madhya Pradesh chief secretary, requesting a detailed report within one week. This report should include the current health status of hospitalised children and steps taken to prevent such incidents in the future.The NHRC's actions underscore the urgent need for improved conditions in shelter homes and stricter enforcement of laws protecting vulnerable populations. Ensuring the safety and dignity of women and children remains a critical priority for the commission.

NHRC issues notices to states, UTs over women being 'forced' into sex trade by anti-social elements

https://theprint.in/india/nhrc-issues-notices-to-states-uts-over-women-being-forced-into-sex-trade-by-anti-social-elements/2162822/

New Delhi, Jul 5 (PTI) The NHRC has issued notices to the chief secretaries and the police chief of all the states and union territories over reports that women are allegedly being forced into sex trade by anti-social elements on the pretext of providing them with lucrative job opportunities.

In a statement on Friday, the National Human Rights Commission observed the content of a news report quoting statements by women arrested during a raid, if true, raises a serious concern relating to the life, liberty, equality and dignity of women, irrespective of caste, religion and geographical boundaries

"The media report, carried on July 1, indicates that most of the arrested women during a raid at a hotel in Ranchi, Jharkhand, got into sex trade out of compulsion and helplessness. Many of them were pushed into this web by their relatives and some of them were forced to enter into this ugly business to fulfil the needs of their families and could not come out of the vicious network of anti-social elements once got into their grip," it said.

The news report indicates that the victim women are natives of different places, "trapped in the name of a job" and their handlers are reportedly operating from distant locations. This indicates the "depth of the crime syndicate" across the country, which requires a pan-India action against such criminal elements, the statement said.

The NHRC, after taking suo motu cognisance of the media report, issued notices to the chief secretaries and the director generals of police of all the states and UTs, seeking a detailed report on the steps taken and proposed to be taken to deal with the anti-social elements pushing women into sex trade, it said.

Issuing the notices, the commission further observed that despite several laws and schemes in the country for the protection, safety and welfare of women, the anti-social and criminal elements manage to target the vulnerable sections of society, particularly women.

In another statement issued on Friday, the NHRC said it has taken suo motu cognisance of media reports that 30 children allegedly fell ill and five died at an ashram (shelter home) in the Indore district of Madhya Pradesh.

“They are of 5-15 years. Reportedly, blood infection and food poisoning are suspected to be the reasons behind this. Most of the children living in the ashrams are orphans,” it said.

The NHRC issued a notice to the Madhya Pradesh chief secretary, seeking a detailed report within one week. It should include the present health status of the children reportedly hospitalised for medical treatment, it added.

The commission would also like to know about the steps taken to improve the overall condition of the ashram so that such incidents do not recur, the statement said. PTI KND MNK MNK MNK

HINDUSTAN TIMES, Online, 6.7.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC puts advisory for protection of beggars: 'Decriminalise begging'

https://www.hindustantimes.com/india-news/nhrc-puts-advisory-for-protection-of-beggars-decriminalise-begging-101720196287485-amp.html

NHRC issues advisory for protection and rehabilitation of individuals engaged in begging, recommends survey, rehabilitation measures among others.

The National Human Rights Commission (NHRC) of India on Friday issued an advisory for the protection and rehabilitation of individuals engaged in begging.

The human rights body has included several key recommendations to address the socio-economic challenges faced by impoverished, uneducated children, women, and differently-abled people.

NHRC advisory on begging | Top points

• Develop a standardised survey format to create a national database of persons engaged in begging.

• Regularly collect and update detailed information on an online portal accessible to authorities, nodal agencies, and shelter homes.

• Include parameters such as gender, age, family status, health issues, place of origin, and previous economic activities.

Rehabilitation Measures:

• Register individuals in shelter homes and issue identity cards.

• Ensure shelter homes provide essential services, including healthcare, registration assistance, and financial services.

Healthcare:

• Provide proper boarding, lodging, and healthcare services in shelter homes.

• Ensure access to mental health counseling, de-addiction, and rehabilitation services.

• Link residents with government medical assistance and insurance schemes.

Education:

• Ensure free and compulsory education for children aged 6-14 years involved in begging.

• Provide early childhood care and education for children up to 6 years old whose parents are involved in begging.

Legal and Policy Framework:

• Establish an anti-begging framework and work towards decriminalising begging.

• Undertake anti-poverty measures and enact laws to curb forced begging and human trafficking.

Collaboration with NGOs and Other Organisations:

• Collaborate with NGOs, civil society organisations, and the private sector for skill development and vocational training.

• Encourage the formation of Self-Help Groups (SHGs) and provide financial assistance through bank loans and government schemes.

Awareness and Sensitisation:

• Develop materials to raise awareness and provide follow-up and aftercare services to monitor progress and prevent relapse into begging.

• Reach out to the public to create awareness and seek cooperation in implementing protection mechanisms.

These recommendations aim to address the root causes of begging, provide support and rehabilitation, and ensure the dignity and rights of the affected individuals are upheld, the human rights body said.

NHRC Recommends National Policy for Rehabilitation of Beggars

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3007379-trump-seeks-partial-pause-in-classified-documents-case-following-supreme-court-ruling

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued an advisory recommending the creation of a national policy to protect and rehabilitate individuals engaged in begging. It aims to enhance their quality of life through financial assistance, vocational training, and other welfare schemes. Additionally, the advisory urges for the implementation of anti-human trafficking laws to combat forced begging.

According to the 2011 census, India is home to over 4,13,000 beggars and vagrants. Despite numerous government initiatives and welfare programs, the problem continues to exist. In response, the NHRC suggests targeted financial assistance, vocational training, and employment opportunities to improve the quality of life for these individuals. Continuous monitoring and implementation of these frameworks by executive actions are also recommended.

The advisory also addresses sociological and economic impacts, encouraging the drafting of an anti-human trafficking law to identify and penalize those enforcing forced begging. An updated national database, accessible online to all stakeholders, is to be maintained. Special attention is given to vulnerable groups including children, women, the elderly, and persons with disabilities. State governments are urged to eradicate organized or forced begging through campaigns and the creation of anti-begging cells.

HANS INDIA, Online, 6.7.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC seeks report from CS on plight of schools in TG

https://www.thehansindia.com/news/cities/hyderabad/teach-for-change-and-pegasystems-complete-major-renovation-and-upgradation-of-government-schools-in-devaljamsingh-gudimalkapur-889618?infinitescroll=1

Hyderabad : The National Human Rights Commission (NHRC) has called for a report from the TG government on plight of schools in the State.The Commission's action comes following a complaint lodged by Sravan Vurappali from the city, alleging that the conditions of government-run schools are appalling and detrimental to the well-being and educational development of students in most parts of Telangana.

The complaint highlighted lack of basic infrastructure like adequate classrooms, functioning toilets, clean drinking water facilities and safe playgrounds. Sanitary conditions in several schools are extremely poor, posing serious health risks to both students and the staff.Also, "schools don’t have any budget to hire scavengers/workers required to keep school premises clean."

Also, there are no qualified teachers in most schools, causing overcrowded classrooms and compromised learning experiences. Besides, the quality of food is allegedly unhygienic and sometimes many living creatures appear in food of students, the complaint noted.Following this, the NHRC, in its notice to the State Chief Secretary on Thursday said the complainant highlights a noticeable deficiency in essential educational resources such as textbooks, laboratory equipment and teaching aids, hindering effective teaching and learning. Some schools face security challenges, making them unsafe for both students and teachers.Against this background, the commission sought for a report within four weeks. It warned that it would be constrained to invoke coercive process u/s 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993, calling for a personal appearance of the authority concerned for submission of the report if it is not received within the stipulated time.

NHRC ने 'जरूरतमंदों' की सुरक्षा के लिए जारी की एडवाइजरी, करी ये मांग

https://www.newsnationtv.com/india/news/nhrc-advisory-for-protection-of-beggars-decriminalise-begging-in-hindi-480145.html

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने शुक्रवार को भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एडवाइजरी जारी की है.

नई दिल्ली: भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने शुक्रवार को भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एडवाइजरी जारी की है. मानवाधिकार निकाय ने गरीब, अशिक्षित बच्चों, महिलाओं और विकलांग लोगों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई प्रमुख सिफारिशें शामिल की हैं. चलिए इस आर्टिकल में भीख मांगने पर NHRC की सलाह को कुछ मुख्य बिंदुओं में समझें. मालूम हो कि, इसमें सर्वेक्षण और डेटा संग्रह, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत चीजों को भी शामिल किया गया है...

भीख मांगने पर NHRC की सलाह

सर्वेक्षण और डेटा संग्रह:

-भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए एक मानकीकृत सर्वेक्षण प्रारूप विकसित करें.

-अधिकारियों, नोडल एजेंसियों और आश्रय गृहों के लिए सुलभ ऑनलाइन पोर्टल पर विस्तृत जानकारी नियमित रूप से एकत्र करें और अपडेट करें.

-लिंग, आयु, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य मुद्दे, मूल स्थान और पिछली आर्थिक गतिविधियों जैसे पैरामीटर शामिल करें.

पुनर्वास उपाय:

-आश्रय गृहों में व्यक्तियों का पंजीकरण करें और पहचान पत्र जारी करें.

-सुनिश्चित करें कि आश्रय गृह स्वास्थ्य देखभाल, पंजीकरण सहायता और वित्तीय सेवाओं सहित आवश्यक सेवाएं प्रदान करें.

-सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए शिविर आयोजित करें.

स्वास्थ्य देखभाल:

-आश्रय गृहों में उचित भोजन, आवास और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें.

-मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, नशामुक्ति और पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करें.

-निवासियों को सरकारी चिकित्सा सहायता और बीमा योजनाओं से जोड़ें.

शिक्षा:

-भिक्षावृत्ति में शामिल 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करें.

-6 वर्ष तक के उन बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करें जिनके माता-पिता भीख मांगने में शामिल हैं.

कानूनी और नीतिगत ढांचा:

-एक भीख-विरोधी ढांचा स्थापित करें और भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से हटाने की दिशा में काम करें.

-गरीबी-विरोधी उपाय करना और जबरन भीख मांगने और मानव तस्करी को रोकने के लिए कानून बनाना.

गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के साथ सहयोग:

-कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करें.

-स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन को प्रोत्साहित करें और बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करें.

जागरूकता और संवेदनशीलता:

-जागरूकता बढ़ाने के लिए सामग्री विकसित करें और प्रगति की निगरानी करने और दोबारा भीख मांगने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अनुवर्ती और बाद की देखभाल सेवाएं प्रदान करें.

-जागरूकता पैदा करने के लिए जनता तक पहुंचें और सुरक्षा तंत्र लागू करने में सहयोग लें.

NHRC ने टीजी में स्कूलों की दुर्दशा पर सीएस से रिपोर्ट मांगी

https://jantaserishta.com/local/telangana/nhrc-seeks-report-from-cs-on-plight-of-schools-in-tg-3371741

HYDERABAD हैदराबाद : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (**एनएचआरसी**) ने राज्य में स्कूलों की दुर्दशा पर टीजी सरकार से रिपोर्ट मांगी है।आयोग की यह कार्रवाई शहर के श्रवण वुरप्पाली द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद आई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि तेलंगाना के अधिकांश हिस्सों में सरकारी स्कूलों की स्थिति भयावह है और छात्रों के स्वास्थ्य और शैक्षिक विकास के लिए हानिकारक है।शिकायत में पर्याप्त कक्षाएं, काम करने वाले शौचालय, स्वच्छ पेयजल सुविधाएं और सुरक्षित खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर किया गया है। कई स्कूलों में स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब है, जिससे छात्रों और कर्मचारियों दोनों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है।

साथ ही, अधिकांश स्कूलों में योग्य शिक्षक नहीं हैं, जिससे कक्षाओं में भीड़भाड़ रहती है और सीखने का अनुभव खराब होता है। इसके अलावा, भोजन की गुणवत्ता कथित रूप से अस्वास्थ्यकर है और कभी-कभी छात्रों के भोजन में कई जीव दिखाई देते हैं, शिकायत में कहा गया है।इसके बाद, एनएचआरसी ने गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव को भेजे अपने नोटिस में कहा कि शिकायतकर्ता ने पाठ्यपुस्तकों, प्रयोगशाला उपकरणों और शिक्षण सहायक सामग्री जैसे आवश्यक शैक्षिक संसाधनों में उल्लेखनीय कमी को उजागर किया है, जो प्रभावी शिक्षण और सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कुछ स्कूलों को सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए असुरक्षित हो जाते हैं।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, आयोग ने चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट मांगी। इसने चेतावनी दी कि यदि रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत बलपूर्वक प्रक्रिया लागू करने के लिए बाध्य होगा, और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करेगा।

NHRC: महिलाओं से 'जबरन देह व्यापार' मामले में राज्यों को नोटिस; 4.13 लाख+ भिक्षुकों पर राष्ट्रीय नीति का सुझाव

https://www.amarujala.com/india-news/nhrc-notice-to-states-on-forced-prostitution-of-women-suggestion-of-national-policy-on-4-13-lakh-beggars-2024-07-06

एनएचआरसी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को उन रिपोर्टों पर नोटिस जारी किया ह। जिनमें महिलाओं को आकर्षक नौकरी के अवसर प्रदान करने के बहाने असामाजिक तत्वों द्वारा कथित तौर पर देह व्यापार में धकेला जा रहा है।

महिलाओ को देह व्यापार में धकेलने और जबरन भीख मंगवाने के रैकेट को रोकने के लिए एनएचाआरसी ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे जबरन देह व्यापार और भीख मंगवाने के मामलों पर नोटिस जारी करें।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि छापे के दौरान गिरफ्तार महिलाओं के बयानों को उद्धृत करने वाली एक समाचार रिपोर्ट यदि सच है, तो जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं के बावजूद महिलाओं के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित एक गंभीर चिंता पैदा करती है।

दरअसल, 1 जुलाई को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के रांची में एक होटल में छापेमारी की गई। इस दौरान कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इसमें से अधिकांश महिलाओं का कहना है कि मजबूरी और लाचारी के कारण देह व्यापार में शामिल हो गई थीं। उनमें से कई को उनके रिश्तेदारों ने इस जाल में धकेल दिया था। कुछ को अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस घिनौने धंधे में उतरने के लिए मजबूर किया गया था। एक बार असामाजिक तत्वों के चंगुल में फंसने के बाद वे इससे बाहर नहीं निकल पाईं।

मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि पीड़ित महिलाएं अलग-अलग जगहों की मूल निवासी हैं। इन महिलाओं को नौकरी के नाम पर फंसाकर यह काम करवाया गया, उनके संचालक कथित तौर पर दूर-दराज के स्थानों से काम कर रहे हैं। यह देश भर में अपराध सिंडिकेट की गहराई को दर्शाता है, जिसके लिए ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ पूरे देश में कार्रवाई की आवश्यकता है।

वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को भीख मांगने की आवश्यकता को खत्म करने और इसमें शामिल लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से रणनीति विकसित करने के लिए यह सलाह जारी की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई पहलों और कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के बावजूद, देश भर में भीख मांगने की प्रथा जारी है। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 4,13,000 (4.13 लाख) से अधिक भिखारी और आवारा लोग थे। एनएचआरसी ने अधिकारियों से भीख मांगने में शामिल व्यक्तियों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने को कहा, ताकि लक्षित वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसरों के साथ उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार और कार्यान्वित की जा सकें और उन रूपरेखाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी कार्यों द्वारा निरंतर निगरानी और पर्यवेक्षण किया जा सके।

देह व्यापार को रोकने के लिए उठाए कदमों की मांगी रिपोर्ट

एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी किया है। जिसमें महिलाओं को देह व्यापार में धकेलने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए उठाए गए और प्रस्तावित कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नोटिस में आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के लिए देश में कई कानून और योजनाएं होने के बावजूद असामाजिक और आपराधिक तत्व समाज के कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं को निशाना बनाने में कामयाब होने पर शर्मिंदगी जताई।

भीख मांगने वालों के संरक्षण करने वालों का तैयार होगा डाटाबेस

जबरन भीख मांगने के किसी भी रैकेट को रोकने के लिए मानव तस्करी विरोधी कानून बनाने के लिए समाजशास्त्रीय और आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन करने की भी सिफारिश की। इस कानून में भीख मांगने को मानव तस्करी के मूल कारणों में से एक के रूप में पहचाना जाना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक अपराध शामिल किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नगर निगमों और सरकारी एजेंसियों की मदद से विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए एक मानकीकृत सर्वेक्षण प्रारूप विकसित किया जाना है। जिससे भीख मांगने में लगे व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जा सके। इससे सभी हितधारकों के लिए सुलभ एक ऑनलाइन पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे संगठित या जबरन भीख मांगने के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू करें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एनजीओ या सीएसओ और मानवाधिकार रक्षकों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल करके भीख मांगने के खिलाफ़ सेल शुरू किए जा सकते हैं।.

इंदौर के आश्रम में बच्चे पड़े बीमार, पांच की मौत, मांगी रिपोर्ट

एनएचआरसी ने एक अन्य मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक आश्रम (आश्रय गृह) में 30 बच्चे कथित रूप से बीमार पड़ गए और पांच की मौत हो गई। ये बच्चे 5-15 साल के हैं। हालांकि इन बच्चों की मौत का कारण रक्त संक्रमण और खाद्य विषाक्तता माना जाता है। आश्रम में रहने वाले अधिकांश बच्चे अनाथ हैं। एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें कथित तौर पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती बच्चों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति भी शामिल होनी चाहिए। बयान में कहा गया है कि आयोग आश्रम की समग्र स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानना चाहेगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

एनएचआरसी ने देह व्यापार मामले में राज्यों को नोटिस जारी किया

https://www.livehindustan.com/ncr/new-delhi/story-nhrc-issues-notice-to-states-in-prostitution-case-10387488.html

महिलाओं को असामाजिक तत्वों द्वारा देह व्यापार में धकेले जाने पर कार्रवाई नई

हिलाओं को असामाजिक तत्वों द्वारा देह व्यापार में धकेले जाने पर कार्रवाई नई दिल्ली, एजेंसिजें यां। एनएचआरसी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को उन रिपोर्टों पर नोटिस जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि महिलाओं को आकर्षक नौकरी के अवसर प्रदान करने के बहाने असामाजिक तत्वों द्वारा कथित तौर पर देह व्यापार में धकेला जा रहा है।

शुक्रवार को एक बयान में राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग ने कहा कि एक छापे के दौरान गिरफ्तार महिलाओं के बयानों को उद्धृ त करने वाली एक समाचार रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं के बावजूद महिलाओं के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित एक गंभीर चिंता पैदा करती है।

चोपड़ा कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग, शुभेंदु अधिकारी ने कहा लगता है यह क्षेत्र देश से बाहर

https://roamingexpress.com/85616#google_vignette

सिलीगुड़ी: राज्य के विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी चोपड़ा मामले की सीबीआई जांच की मांग में शामिल हो गए हैं। सुवेंदु, भाजपा मुख्य आरक्षक शंकर घोष समेत विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल चोपड़ा थाने गया और आईसी से मुलाकात की। शुवेंदु ने कहा, "मुझे बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस स्टेशन आना पड़ा ताकि आईसी भाग न जाए। उनके शब्दों में, "चोपड़ा में खाप पंचायत चल रही है। यहां पंचायत में वोटिंग नहीं होने दी गई। बीजेपी नेता ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा, 'चोपड़ा में जो हुआ वह बंगाल और बंगालियों के लिए झटका है। आईसी से मुलाकात हुई. वह सात-आठ मिनट से हमारी बातें सुन रहा है न निगल सकते, न फेंक सकते। विधायक हमीदुल रहमान ने यहां समानांतर प्रशासन चलाया। यहां कोई लोकतंत्र नहीं है।कोई भी पार्टी अस्तित्व में नहीं रहना चाहती। इस बार कम से कम 150 बूथ लूटे गये हैं। तजीमुल के नेतृत्व में बदमाशों का गिरोह नया नहीं है। उन्होंने पंचायत चुनाव में भी अत्याचार किया।कोई एक दिन का आयोजन नहीं। पिछले कुछ वर्षों में पुलिस की सीधी मिलीभगत से जंगल राज कायम हो गया है। उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि चोपड़ा भारत से बाहर हैं। राज्य सरकार को कूच बिहार और चोपड़ा घटना की सीबीआई जांच के बारे में बता दिया गया है। नहीं तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाल ही में जारी एक वायरल वीडियो में तजीमुल इस्लाम नाम के एक तृणमूल नेता एक युवक और युवती को सड़क पर गिराकर पीटते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही हंगामा मच गया। पुलिस ने तुरंत तजीमुल को गिरफ्तार कर लिया। उसके कुछ और साथी भी पकड़े गये लेकिन अभी भी कई लोग बाहर है। इसके पहले **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के चार सदस्य प्रतिनिधिमंडल बुधवार को दिल्ली से रवाना हुआ था और गुरुवार को वारदात वाली जगह पर पहुंचा है। आयोग के सदस्यों ने पीड़ित युवक और युवती से मुलाकात की। दो घंटे तक उनसे बातचीत की गई है। उनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों ने परिवार के बाकी सदस्यों के अलावा पड़ोसियों के बयान भी दर्ज किये। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल घर से निकलकर घटनास्थल पर पहुंचा है। वहां से वे ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर के लिए रवाना हो गये। हालांकि, जाते वक्त आयोग के प्रतिनिधियों ने पत्रकारों के सामने कोई टिप्पणी नहीं की।सूत्रों के अनुसार, पीड़ित युवक-युवती घटना के बाद से एक ही घर में रह रहे हैं। आज प्रतिनिधिमंडल के सदस्य वहां गए। जहां पीड़ितों से उन्होंने विभिन्न प्रश्न पूछे। चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में एक महिला अधिकारी भी हैं। इन्होंने बाद में पुलिस से भी बात की है। श्रीवास्तव ने बताया कि आयोग की यह टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट अशोक झा

भिखारियों को मिले बराबर का हक, डाटा कलेक्ट करे सरकार; मानवाधिकार आयोग ने जारी की एडवाइजरी

https://www.livehindustan.com/national/story-protection-and-rehabilitation-of-individuals-engaged-in-begging-advisory-by-nhrc-10385543.html

2011 जनगणना के अनुसार, भारत में 413 हजार से ज्यादा भिखारी और आवारा लोग थे। भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों की मौजूदगी हाशिए पर पड़े और कमजोर समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों की याद दिलाती है।

भारत में भीख मांगना एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है जिसके पीछे कई कारण हैं। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, और विकलांगता जैसी मजबूरियां इस समस्या को और अधिक जटिल बनाती हैं। गरीबी सबसे बड़ा कारण है। कई लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। हालांकि भारत के राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भीख मांगने में लगे व्यक्तियों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कई प्रमुख सिफारिशें शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भीख मांगने में शामिल गरीब, अशिक्षित बच्चों,च्चों महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना है।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 413 हजार से ज्यादा भिखारी और आवारा लोग थे। भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों की मौजूदगी हाशिए पर पड़े और कमजोर समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों की याद दिलाती है। भिक्षावृत्ति सिर्फ गरीबी का नतीजा नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, आर्थिक समस्या है, जहां शिक्षा और रोजगार के अवसरों के अभाव में लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए भीख मांगने को मजबूर हैं। यह एक सामाजिक मुद्दा है जो कई देशों के शहरी इलाकों में व्याप्त है। शहरों और छोटे शहरों दोनों में, महिलाओं, ओं बच्चों, च्चों ट्रां सजेंडर और बुज़ुर्गों सहित कई व्यक्ति जीवित रहने के लिए भीख मांगने को मजबूर हैं। इसके अलावा, सामाजिक उपेक्षा के परिणामस्वरूप, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पास जीवित रहने और दैनिक भरण-पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

हालांकि, गरीबी की सतह के नीचे एक मानवीय संकट छिपा है जहां इन व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों से समझौता किया जाता है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सामाजिक कल्याण हस्तक्षेप, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच, मजबूत कानूनी ढांचे और उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें समाज में फिर से एकीकृत करने में मदद करने के लिए प्रवर्तन शामिल हैं। इसी को देखते हुए राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सरकारी अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की है।

1. सर्वेक्षण, पहचान, मानचित्रण और डाटा बैंक तैयार करना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) द्वारा राष्ट्री य डेटाबेस बनाने के वास्ते विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए एक मानकीकृत सर्वेक्षण प्रारूप विकसित किया जाना चाहिए, जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। सभी डेटा एकत्र किए जाने चाहिए और एक ऑनलाइन पोर्टल/डैशबोर्ड पर अपलोड किए जाने चाहिए। इस पोर्टल का एक्सेस राज्य/जिला स्तर के अधिकारियों, यों नोडल एजेंसिजें यों और आश्रय गृहों जैसे विभिन्न हितधारकों के पास होना चाहिए। उन्हें एकत्र किए गए डेटा की सॉफ्ट कॉपी बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

2. भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का पुनर्वास

आश्रय गृह के प्रत्येक निवासी को पंजीकृत किया जाना चाहिए तथा राज्यों/ज्योंसंघ शासित प्रदेशों (शों यूटी) या अधिकृत एजेंसिजें यों में संबंधित विभागों/गोंनगरपालिकाओं/ओंग्राम पंचायतों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए। कार्ड में उनका नाम, अनुमानित आयु (यदि सही आयु उपलब्ध नहीं है), आश्रय गृह का पता तथा स्वास्थ्य स्थिति (यदि दिव्यांग हैं, आदि) शामिल होनी चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल पर इन विवरणों की अनिवार्य प्रविष्टि की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य सेवा हर राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आश्रय गृहों में सभी निवासियों को उचित भोजन और आवास की सुविधा उपलब्ध हो। शिक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत सरकार को 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करनी है, जिसमें भीख मांगने वाले बच्चे भी शामिल हैं। राज्य को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत ऐसे बच्चों को सरकारी या निजी स्कूलों में पंजीकृत और नामांकित करना है।

कानूनी और नीतिगत ढांचा अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन की गारंटी देता है और इसलिए, देश के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को पर्याप्त आश्रय, पर्याप्त पौष्टिक भोजन और उचित

वस्त्र मिले ताकि वे तब तक सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें जब तक कि समाज से भीख मांगने की प्रथा समाप्त नहीं हो जाती। गैर सरकारी संगठनों, नों नागरिक समाज संगठनों, नों निजी क्षेत्र, धर्मार्थ ट्रस्टों आदि के साथ सहयोग सरकार आश्रय गृहों में रहने वाले लोगों को उनकी योग्यता, क्षमता और पसंद के अनुसार कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करे। इससे वे स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार करने में सक्षम होंगेहों गे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे अपना भरण-पोषण कर सकें और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आश्रय गृहों में रहने वाले और/या पुनर्वास के बाद भिखारियों को स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्राधिकरण बैंकों के साथ समन्वय करके इन स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करें, जिसके लिए समूह गारंटी को संपार्श्विक के रूप में माना जाएगा। राज्य स्वयं सहायता समूहों के कल्याण के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराएगा।